

30.05.2018

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र रोहिली पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 30.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र रोहिली पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

यह पत्रावली अटल सेवा केन्द्र रोहिली मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित हाने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपुरडी के खसरा नम्बर 478/122 रकबा 20.00 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपुरडी के खसरा नम्बर 478/122 रकबा 20.00 बीघा बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

